राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY, CHHINDWARA (M.P.),

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara Phone (o)- 07162-230266 Email-registrar.cuc@mp.gov.in

पत्र क्र. 10527/परीक्षा/राशंशावि/2023 छिंदवाड़ा दिनांक: 11/04/2023

प्रति,

समस्त प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय
परिक्षेत्र राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषय :– NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश बाबत्।

संदर्भ :– राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की अधिसूचना क्र 10247/परीक्षा/छि.वि.छि./2023 छिन्दवाड़ा दिनांक 20/03/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38 भोपाल दिनांक 04/11/2022 के परिपेक्ष्य में **स्नातक द्वितीय वर्ष NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के** अंतर्गत **प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 11/04/2023 से 17/04/2023** तक कराया जाना है।

नोट :–

1. स्नातक द्वितीय वर्ष में केवल स्नातक प्रथम वर्ष गैर राष्ट्रीय शिक्षा नीति **(Non-NEP)** के अंतर्गत उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र होगे।
2. स्नातक द्वितीय वर्ष में केवल स्नातक द्वितीय वर्ष गैर राष्ट्रीय शिक्षा नीति **(Non-NEP)** के अंतर्गत अनुत्तीर्ण/अंतराल वाले विद्यार्थी पात्र होगे।
3. जो विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष में जो विषय समूह लिया है। वहीं विषय समूह के अंतर्गत विद्यार्थी **Major, Minor & Elective** का चयन करेगा।

आदेशानुसार,

संलग्न :– संदर्भित पत्र एवं शासन का पत्र।

कुलसचिव
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पृ. क्र.10528/परीक्षा/राशंशावि/2023 छिंदवाड़ा दिनांक: 11/04/2023

प्रतिलिपि :

1– कुलपति जी सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2– उपकुलसचिव–गोपनीय/अकादमी शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
3– प्रभारी एम.पी. ऑनलाइन विश्वविद्यालय सूचना केन्द्र राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– परीक्षा नियंत्रक अधिकारी राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

ANLU 62

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY, CHHINDWARA (M.P.),

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara Phone (o)- 07162-230266 Email-registrar.cuc@mp.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्र क्र. 10247/परीक्षा/छि.वि.छि./2023 छिंदवाड़ा दिनांक: 20/03/2023

* अधिसूचना*

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38 भोपाल दिनांक 04/11/2022 के परिपालन में निम्नानुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा अकादमिक सत्र 2021–22 में नवीन आकदमिक संरचना लागू की गयी है। सत्र 2021–22 के पूर्व की पद्धति से स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण/पूरक विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को अध्यादेश 14A/14B के अनुसार शिक्षण एवं परीक्षा में शामिल किया जाये। विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष में जो अंक प्राप्त किए हैं इन अंकों के ग्रेड प्वाइंट में शासन के पत्र क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38 भोपाल दिनांक 04/11/2022 के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। उदाहरणार्थ

A यदि किसी विद्यार्थी ने बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित,भौतिक,रसायन विषय से बी.एस.सी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं द्वितीय वर्ष में NEP 2020 के अंतर्गत प्रवेश लेना चाहता है तो प्राप्तांको की गणना निम्नानुसार होगी एवं उसे निम्नानुसार अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

क्र.	विषय	क्रेडिट की गणना		अंको की गणना
		प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1	मेजर	प्रथम एवं द्वितीय	12	प्राप्तांको की आनुपाति गणना 100 अंको के समतुल्य मानकर की जाएगी।
2	माइनर	प्रथम, द्वितीय एवं प्रायोगिक	06	———''———
3	वैकल्पिक	प्रथम, द्वितीय एवं प्रायोगिक	06	———''———
4	आधार पाठ्यक्रम	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय	08	———''———
		योग	32	

NEP 2020 में प्रथम वर्ष की कक्षा में कुल 40 क्रेडिट मान अर्जित करने होते है। लेकिन उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के द्वारा 32 क्रेडिट अर्जित किए गए है। अतः 08 क्रेडिट निम्नानुसार अर्जित करना होगें।

(1) व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक प्रश्नपत्र क्रेडिट 04

(2) फील्ड प्रोजेक्ट/परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप/एप्रेन्टिसशिप एवं कम्यूनिटी एंगेजमेंट क्रेडिट 04

कुल योग क्रेडिट 08

द्वितीय वर्ष की कक्षा NEP 2020 पाठ्यक्रम के साथ प्रथम वर्ष के 08 क्रेडिट अनिवार्य रूप से अर्जित करने होंगे।

अथवा

स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पुरानी पद्धति से आयोजित की जाए।

नोट :– (A) पुरानी पद्धति से स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी की अंकसूची को उपरोक्तानुसार ग्रेड शीट में परिवर्तित किया जाए। इस ग्रेड शीट के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की ग्रेड शीट में Annual Grade Average (AGPA) की प्रविष्टि की जायेगी।

ANLU 49

(B) यदि विद्यार्थी ने द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश लिया है तो द्वितीय वर्ष का परीक्षा फार्म एवं प्रथम वर्ष की 08 क्रेडिट अर्जित करने हेतु प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म भरना होगा।

बिन्दु क्रमांक 2. NEP प्रथम में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संबंध में दिशा निर्देश :–

NEP प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के विषय पर निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्र जो NEP पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाते है वे चालू सत्र में पुनः नियमित विद्यार्थियों के रूप में उसी कक्षा एवं विषयों की परीक्षा में बैठेगें, किन्तु ऐसे सभी छात्रों को नियमित परीक्षार्थियों के रूप में उसी कक्षा में निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण कर उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा की स्थिति में उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी होगी। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

बिन्दु क्रमांक 3. पूरक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश :–

मेजर विषय में दो प्रश्नपत्र होते हैं लेकिन यदि एक प्रश्नपत्र में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो पूरक परीक्षा एक प्रश्नपत्र की ही देना होगी। आधार पाठ्यक्रम में भी यही नियम लागू होगा। आधार पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्नपत्र (हिन्दी+अंग्रेजी) या द्वितीय प्रश्नपत्र (योगा+पर्यावरण) जिस प्रश्नपत्र में पूरक है उसी प्रश्नपत्र की परीक्षा देना होगी।

आधार पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्नपत्र (हिन्दी+अंग्रेजी) या द्वितीय प्रश्नपत्र (योगा+पर्यावरण) एक प्रश्नपत्र के दोनो भाग के अंक मिलाकर 35% प्राप्तांक होने पर उस प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। लेकिन पूरक आने पर पूरा प्रश्नपत्र (दोनों भाग) की परीक्षा देना होगी।

बिन्दु क्रमांक 4. NEP द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को Major/Minor/ Elective विषय का चयन उसी Group में से करना हैं जो कि प्रथम वर्ष की परीक्षा में लिया गया था। उदाहरण के लिए जैसेः–

किसी परीक्षार्थियाकें ने आधार पाठ्यक्रम के साथ भौतिकी, रसायनशास्त्र व गणित विषय लिया हो तो वह तीनों विषयों में से किसी एक विषय को Major शेष अन्य दो विषयों में से किसी एक विषय को Minor एवं शेष एक विषय को Elective के रूप में चयन कर सकता है। परीक्षार्थी को साथ में Vocational Course (4 Credit) एवं internship/Field Project/Community Engagement Services (4 Credit) का भी चयन किया जावेगा।

परीक्षा नियंत्रक
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पृ.क्र. 10248/परीक्षा/राशंशावि/2023
छिंदवाड़ा दिनांकः 20/03/23

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति महोदय के निज सहायक, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर माननीय कुलपतिजी के अवलोकनार्थ।
2. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. परीक्षा/गोपनीय शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38 भोपाल,दिनांक 04.11.2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के पूर्व में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अध्यादेश 14 A तथा 14 B की अकादमिक संरचना अनुसार नियमित अध्ययन की व्यवस्था विषयक।

--0—

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा अकादमिक सत्र 2021-22 से नवीन अकादमिक संरचना लागू की गयी है। विभाग के समक्ष यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि सत्र 2021-22 के पूर्व की पद्धति से स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले वैसे विद्यार्थी जिनके अध्ययन में टूट हुआ है, उन्हें नवीन अकादमिक संरचना में किस प्रकार से नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार की समस्या तब भी उत्पन्न होगी जब कोई विद्यार्थी अन्य संस्था से उत्तीर्ण होकर मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेगें। मूल प्रश्न यह है कि यदि कोई विद्यार्थी भिन्न अकादमिक संरचना से उत्तीर्ण है तब उसे अध्यादेश 14 A तथा 14 B द्वारा निर्धारित नवीन अकादमिक संरचना के अन्तर्गत किस प्रक्रिया से नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित किया जाए। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन (सत्र 2021-22) के पूर्व स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति से उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमश: स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमश: तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश प्रदान किया जाए। नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का

अध्यादेश 14 A /14 B अनुसार शिक्षण एवं परीक्षा आयोजन किया जाए। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पुरानी पद्धति से आयोजित की जाए।

2. सत्र 2021-22 के पूर्व वार्षिक पद्धति से स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश प्राप्त करने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के शेष प्रश्न -पत्र, प्रायोगिक कार्य, व्यावसायिक विषय तथा फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/एप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी ऐंगेजमेंट एण्ड सर्विस आदि विषयों की परीक्षाओं को प्रवेशित कक्षा की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित क्रेडित अर्जित करने होंगे।

3. सेमेस्टर/वार्षिक की पुरानी पद्धति से उत्तीर्ण विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करने के लिए क्रमश: परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार समतुल्यता निर्धारित की जाए जिससे उनका परीक्षा परिणाम समान रूप से तैयार किया जा सके। क्रेडिट गणना के लिए अध्यादेश क्रमांक 14ए के अंतर्गत स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु गणना पत्रक परिशिष्ट-1 अनुसार तथा अध्यादेश क्रमांक 14 बी के अंतर्गत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु गणना पत्रक परिशिष्ट-2 अनुसार होगा।

4. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के यू.टी.डी., राज्य विश्वविद्यालय के यू.टी.डी. तथा स्वशासी महाविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पात्रता/समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नियमित शिक्षण/ स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में पात्र होंगे। इन विद्यार्थियों पर उपरोक्त सरल क्रमांक-1,2,3 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएँगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

पृ.क्रमांक /88/सी.सी./22 /38 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. विशेष सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय ।

2021

3. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ.आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

(परिशिष्ट -1)

अध्यादेश क्रमांक 14A के अन्तर्गत स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थी हेतु गणना पत्रक

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व में लागू प्रणाली से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	विषय	क्रेडिट की गणना		अंकों की गणना
		सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1.	मुख्य	• 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	6 (4+2)	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
2.	गौण	• 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	6 (4+2)	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
3.	सामान्य वैकल्पिक	• 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	4 (3+1)	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
4.	आधार पाठ्यक्रम*	3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	4	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
5.	व्यावसायिक विषय **	प्रावधानित नहीं	4	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी

नोट :-

- फील्ड प्रोजेक्ट / परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप / एप्रेन्टिसशिप एवं कम्यूनिटी एंगेजमेंट द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टेर में प्रावधानित नहीं है।
- * प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ** तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर

(परिशिष्ट -2)

अध्यादेश क्रमांक 14B के अन्तर्गत स्नातक द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी हेतु गणना पत्रक
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व में लागू प्रणाली से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	विषय	क्रेडिट की गणना		अंकों की गणना
		प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1.	मुख्य	• 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक • 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	12 12 12	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
2.	गौण / वैकल्पिक	• 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक • 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	6 6 6	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
3.	आधार पाठ्यक्रम	3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	8	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
4.	व्यावसायिक विषय	4 क्रेडिट (पूर्व प्रणाली में प्रावधानित नहीं)		विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में दो व्यावसायिक विषयों का अध्ययन करेंगे
5.	फील्ड प्रोजेक्ट / परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप/ एप्रेन्टिसशिप/ कम्यूनिटी एंगेजमेंट	4 क्रेडिट (पूर्व प्रणाली में प्रावधानित नहीं)		विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में इनमें से किन्ही दो (फील्ड प्रोजेक्ट / परियोजना कार्य / इंटर्नशिप / एप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी एंगेजमेंट) का अध्ययन पूर्ण करेंगे